

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जाए जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3624

दिनांक: 30/07//

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, पुरानी छावनी, ए.बी. रोड, ग्वालियर
मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. पुष्पा घकुर, विथि विभाग, शासकीय महाविद्यालय, अशोकनगर
2. डॉ. जे.पी. सिंह शासकीय महाविद्यालय, मुरैना

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

Jeevajee
अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थी।
- प्राचार्य, मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, पुरानी छावनी, ए.बी. रोड, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए.डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

Jeevajee
अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पन्थ व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से दी किया जावे जा कि विद्यार्थी अन्वेषिकारी के नाम हो।
सम्बन्धित विषय दर यदि पूर्ण में पन्थ व्यवहार दुआ हो तो पन्थ क्रांक एवं दिवांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविष्ठा हो।



ग्राम : यूजीविडी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५०५६

दिनांक: २५/८/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध मदर ट्रेसा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, पुरानी छावनी, ग्वालियर (0751-4036023) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.एस.-सी. नर्सिंग चर्चा वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

0751-2442828)

(2) प्रो. राधा तोमर, आचार्य, इसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) श्रीमती सुछदा शर्मा, प्राचार्या, बी.आई.एम.आर. कालेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर भूल्क, धोरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्ट तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों ले सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधीस्थित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देही के लिए महाविद्यालय रूपयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः विरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को ढण्ड रकम रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्बगठन किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रवेश देबा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पञ्चावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेश महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

बोट- निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है, आई.ए.डी.टी. के बार्म्स को युनिशियल करने के उपरांत ही कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचबार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिवांक विधीस्थित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समत्त पञ्च अध्यक्ष कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जा
कि जीवाजी अन्व प्राप्तिर्थी के नाम से।
सम्बन्धित विवाह पर यदि पूर्ण में पञ्च
व्याख्यात कुआ से तो पर क्रांति एवं दिवाक
अध्यक्ष विवाह जाए तिससे समिता से।



ग्राम : गृहीतर्थी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/ 5288

दिनांक: 26/9/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध मंदर टेरेला इंस्टीट्यूट ऑफ बर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2322509) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित पोर्ट बैंडिंग बी-एस-सी. बर्सिंग प्रथम वर्ष, पाठ्यक्रम कक्ष/पाठ्यक्रमों/विषयों की अवधारणा सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानीय कुलपति महोदय लालाजी साहिते, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर वे विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442828)

(2) प्रो. डी.एन. गोखला, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्या, बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ बर्सिंग, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रवधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, गांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/झगड़ापति प्रमाण-पत्र, भवन, ग्रन्थालय एवं पाठ्यक्रम/आडिलेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की वियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों द्वारा स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिनेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करवे का उत्तरदायित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

निरीक्षण गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देशी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा भोगाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही कराता है तो समिति स्वयं उत्तरदायी और युवा निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप ₹ 25,000/- जगा करवे होंगे। तत्परतात ही निरीक्षण समिति का पुर्वगत्र किया जावेगा। परिनियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता लाला में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय लालायक प्राचार्यली लेकर जारेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को श्री.ए. / डी.ए. / गावदय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समत्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित रूप महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुदा भवन, भोगाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर